[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 8th January, 1999

No. S.O. 9/C.A. 59/88/S. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, and 213/99.—In exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and with reference to Haryana, Government, Transport Department, notification No. S. O. 172/C.A. 59/S. 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 213/98, dated the 28th December, 1998, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 1999.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 33, in sub-rule (1),—

(i) in the first proviso, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted ; and

(ii) after the first proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that for the purpose of registration of non-transport vehicles for the first 100 digits of each series, the officer incharge of the Transport Branch of the Office of the Transport Commissioner, shall be the registering authority for the State."

3. In the said rules, for rule 33A, the following rules shall be substituted, namely :—

"**33A. Allotment of registration mark to non-transport and transport vehicles Section 65 (2) (b) (p).**—(1). The Government shall reserve such preferential registration numbers as shown in the table to be assigned to the vehicles of the Government or of any person and the same shall be allotted to a person after payment of additional fee as specified in the table.

(2) On receipt of an application, the registering authority shall, while assigning the registration mark as laid down in the notification issued by the Central Government, assign the registration number which strictly falls in serial after the last registration mark assigned to non transport vehicles and transport vehicles.

(3) The preferential numbers pertaining to non-transport vehicles shall be allotted to Cars and Jeeps only without charging any additional fee.

(4) The registering authority shall allot to the owner of transport vehicle a registration mark of his choice from amongst the registration mark specified by the Government on payment of additional fee as indicated below:—

TABLE

Sr. No.	Registration Number	Additional fee
1	2	3
1	0001	Rs. 10,000
2	(a) 0002 to 0011 (b) 0012 to 0021	Rs. 5,000 for each number
	(c) 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100	
	(d) 0111, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0786, 0789, 0888, 0999	
	(e) 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	
	(f) Any other special or out of turn number.	Rs. 2,000 for each number

(5) As regards Government vehicles, the un-utilised special registration marks shall be issued without charging any additional fee.

(6) If there is more than one application for a number received on the same date, the allotment shall be made through auction by the registering authority concerned.

(7) If a person holding any of the numbers from any previous series wants to retain that number for his new vehicle, he shall be charged half the rate of the group to which the old number falls.

(8) The fee in respect of preferential number paid once shall on no account be refunded.".

P. R. KAUSHIK,

Financial Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Transport Department.

20959 LR (H)—Govt. Press, U.T.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जनवरी, 1999

सं० का० ग्रा० 9/कें० अ० 59/88/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, और 213/99.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 और 213 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या सं० का०प्र० 172/कें०प्रा०59/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 213/98 दिनांक 28 सितम्बर, 1998, के अतिनिदेशन से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (प्रथम-संशोधन) नियम, 1999, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), में विद्यमान नियम 33 में, उप-नियम (1) में,—

(i) प्रथम परन्तुक में, चिह्न "1" के स्थान पर चिह्न ":" रखा जायेगा ; और

(ii) प्रथम परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि प्रत्येक श्रृंखला के प्रथम 100 डिजिटों के लिये गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये, परिवहन आयुक्त के कार्यालय की परिवहन शाखा का भार-साधक अधिकारी, राज्य के लिये रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी होगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 33क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"33क. गैर परिवहन तथा परिवहन वाहनों को रजिस्ट्रीकरण चिह्न का आबंटन धारा 65 (2) (ख) (2) (त).—(1) सरकार सारणी में यथा वर्णित ऐसी अधिमानी रजिस्ट्रीकरण संख्याएं आरक्षित रखेगी जो सरकार अथवा किसी व्यक्ति के वाहन को दी जानी है और वे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस के भुगतान पर किसी व्यक्ति को आबंटित की जाएंगी।

(2) किसी व्यक्ति से रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यथा अधिकथित रजिस्ट्रीकरण चिह्न देते समय, ऐसी रजिस्ट्रीकरण संख्या देगा जो गैर परिवहन वाहनों तथा परिवहन वाहनों को दिया गया अंतिम रजिस्ट्रीकरण चिह्न के बाद सही क्रम संख्या आती है।

(3) गैर-परिवहन वाहनों से सम्बन्धित अधिमान्य संख्याएं किसी अतिरिक्त फीस के प्रभार के बिना केवल कारों तथा जीपों को आवंटित की जाएंगी।

(4) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, परिवहन वाहन के स्वामी को अपनी पसन्द का रजिस्ट्रीकरण चिह्न सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्नों में से नीचे दर्शाये गये अनुसार अतिरिक्त फीस के भुगतान पर, आवंटित करेगा :—

सारणी

क्र० संख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या	अतिरिक्त फीस
1	2	3
1	0001	10,000 रुपये
2 (क)	0002 से 0011	5,000 रुपये प्रत्येक नम्बर के लिये
(ख)	0012 से 0021	
(ग)	0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100	
(घ)	0111, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0786, 0789, 0888, 0999	
(ङ)	1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	
(च)	अन्य विशेष अथवा बिना बारी के नम्बर	2,000 रुपये प्रत्येक नम्बर के लिये

(5) जहां तक सरकारी वाहनों का सम्बन्ध है अप्रयुक्त विशेष रजिस्ट्रीकरण चिह्न कोई अतिरिक्त फीस वसूल किये बिना जारी किये जायेंगे ।

(6) यदि, एक ही तिथि को किसी संख्या के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आवंटन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा किया जायेगा ।

(7) यदि किसी पूर्व सीरिज में से कोई संख्या धारण करने वाला कोई व्यक्ति अपने नये वाहन के लिये वही संख्या रखना चाहता है, तो वह उस ग्रुप की, जिसमें पुरानी संख्या आती है, आधी दर पर प्रभारित किया जायेगा ।

(8) अतिरिक्त संख्या के सम्बन्ध में एक बार भुगतान की गई फीस किसी भी तरह वापिस नहीं की जाएगी।" ।

पी० आर० कौशिक,
वित्तायुक्त एवं सचिव, (हरियाणा सरकार),
परिवहन विभाग ।